अवस्थापना पी० ओ०

संख्या : 125 / XVII(1) / 09-42(प्रकोष्ठ) / 2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून, दिनांक: 13 फरवरी, 2009

विषय : अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 446 / XVII(1) / 05-24(बजट) / 2004 दिनांक 26 जुलाई, 2005 के द्वारा तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 296 / XVII(1) / 06-255(प्रकोष्ठ) / 2005 दिनांक 27 मार्च, 2006 के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। विगत तीन वर्षों में अवस्थापना सृजन के अन्तर्गत जो कार्यक्रम संचालित किये गये हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अवस्थापना कार्यक्रमों के चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है। वस्तुतः ग्राम स्तर पर न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रमों जैसे पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा, पुष्टाहार, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित अवस्थापनाओं का सृजन आवश्यक एवं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सामयिक समीक्षा उपरान्त अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के सम्बन्ध में सन्दर्भित उपरोक्त शासनादेशों में विद्यमान मार्गदर्शी निर्देशों को विस्तारित एवं यथाआवश्यक संशोधित कर अध्यावधिक किये जाने की आवश्यकता परिलक्षित हुई है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेशों दिनांक 26 जुलाई, 2005 एवं दिनांक 27 मार्च, 2006 को अतिक्रमित करते हुए संलग्न दिशा-निर्देशों को एतदद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कृपया तदनुसार नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवस्थापना सृजन के कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित किया जाये।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 282(NP) / XXVII(3) / 2009, दिनांक 12 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त।

क्रमशः .... 2 पर

संख्या :128 (1)/XVII(1)/09–42(प्रकोष्ठ)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
7. ~~समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।~~
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त।

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश

(शासनादेश संख्या–121/XVII(1)/09–42(प्रकोष्ठ)/2007, दिनांक 13 फरवरी, 2009 का संलग्नक)

1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य :

राज्य के अधिकांश भागों में अनुसूचित जाति के परिवार गावों तथा शहरों के विशिष्ट क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी बस्तियां प्रायः मुख्य ग्राम अथवा अधिवासो से पृथक पाये जाते हैं तथा ऐसे क्षेत्र सामान्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अतः अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए समस्त सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं का पर्याप्त लाभ मुख्य बसासत की भांति अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में पहुंचाये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों/क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की नयी योजना आरम्भ की गई है। इसी प्रकार जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना संचालित की जा रही है।

2. अवस्थापना विकास के कार्यक्रम/योजनाएं :

यद्यपि अवस्थापना कार्यक्रमों को किसी श्रेणी अथवा संख्या में सीमित किया जाना सम्भव एवं उचित नहीं है तथापि सर्वांगीण विकास के लिए अहम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण निम्नवत किया जाता है।

(अ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सृजित की जाने वाली अवस्थापना :

1) पेयजल (हैण्ड पम्प निर्माण सम्मिलित) सुविधा।
2) ग्रामीण विद्युतीकरण – गैर परम्परागत ऊर्जा सहित।
3) ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (सम्पर्क मार्ग, पुल, पुलिया सहित)।
4) विद्यालय भवन, भवन में अतिरिक्त कक्ष, विद्यालय परिसर में क्रीड़ा मैदान, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।
5) ए.एन.एम. केन्द्र का निर्माण।
6) नगरीय वार्ड में स्ट्रीट लाईट एवं जल निकास हेतु नालियों का निर्माण।
7) नगरीय मलिन बस्तियों/बाहुल्य ग्रामों में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण।
8) आगनवाड़ी केन्द्र हेतु भवन निर्माण।

क्रमशः.......................2 पर

(ब) अन्य कार्यक्रम / अवस्थापना :

(1) विभागीय छात्रावासों / आश्रम पद्धति विद्यालयों का पुनरोद्धार।

(2) सिंचाई व्यवस्था गूल / नहरों का निर्माण।

(3) विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं में अवशिष्ट कार्य (Critical gap)।

अवस्थापना शीर्षक के अन्तर्गत दर्शायी गयी उक्त योजनाएं सूचक मात्र हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम जो अवस्थापनाओं की श्रेणी में सूचीबद्ध हो सकते हैं, उन्हें भी चयनित किया जा सक बशर्ते ऐसी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ SC/ST के बहुसंख्यक वर्ग को प्राप्त हो रहा हो।

3. बाहुल्यता के मानक :

उपरोक्त सूचीबद्ध एवं अन्य आवश्यक विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जनसंख्या की बाहुल्यता हेतु निम्नवत मानक निर्धारित किये जाते हैं :

(1) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे राजस्व ग्रामों / वार्डों से है, जिनकी 40 प्रतिशत अथवा उ अधिक आबादी जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की हो। इसलिए प्रथमतः अवस्थ सृजन हेतु 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले ग्रामों को चय किया जायेगा। इसके बाद जैसा कि शासनादेश संख्या–43 / XVII(1) / 64(प्रकोष्ठ) / 2008, दिनांक 20 जनवरी, 2009 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसू जनजाति बाहुल्य ग्रामों / वार्डों के मानक में शिथिलता प्रदान की गई है, जिन विकास ख एवं नगरीय क्षेत्रों में 40% से अधिक SC/ST जनसंख्या वाले समस्त ग्राम एवं वार्ड संतृप्त चुके हैं उन विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में 40% से कम किन्तु 30% एवं उससे अ जनसंख्या वाले ग्रामों / वार्डों को अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों / अवस्थापना सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों के संचालन लिए चयन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाहूल्यता ग्राम के साथ–साथ मैदानी क्षेत्र ऐसे ग्रामों, जिनमें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 500 या इ अधिक है तथा पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे ग्रामों, जिनमें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनज की जनसंख्या 300 या इससे अधिक है, को भी क्रमशः अनुसूचित जाति उपयोजना जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों / अवस्थापना सम्बन्धी विक कार्यक्रमों हेतु चयन किया जा सकता है।

क्रमशः.................................3

(2) जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या सामान्यतया मुख्य बसासत से पृथक निवास करती है एवं ऐसे अधिवास सामान्य सुविधाओं यथा पेयजल, विद्युत, उपयुक्त सम्पर्क मार्ग आदि से वंचित पाये जाते हैं। ऐसी विशिष्ट बस्तियों, जिन्हें मजरा अथवा 'तोक' के नाम से पुकारा जाता है एवं इनमें निवास करने वाली अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूरे ग्राम की जनसंख्या के 40 अथवा 30 प्रतिशत से कम है, में भी अवस्थापना विकास के कार्यक्रम कराये जा सकते हैं, बशर्ते इन मजरों/तोकों में पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 10 अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के परिवार तथा मैदानी क्षेत्र में 25 अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते हों तथा प्रस्तावित योजना/कार्य का पूर्ण लाभ इसी बस्ती को प्राप्त हो रहा हो। शहरी क्षेत्र में मलिन बस्तियों में यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं तो उनमें भी अवस्थापना कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(3) शासन के संज्ञान में आया है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति बस्ती/मजरे को किसी विशिष्ट योजना से लाभान्वित कराने के नाम पर कतिपय ग्रामों का अनुसूचित जाति उप योजना अथवा जनजाति उप योजना के अंतर्गत चयन कर लिया गया परन्तु योजना का सीधा–सीधा लाभ इन बस्ती/मजरे को न देते हुए ग्राम की अन्य जनसंख्या को लाभान्वित किया गया। यह किसी भी दृष्टि से उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। अतः उपरोक्त प्रस्तर–3(2) के अंतर्गत योजना का चयन करते समय विभिन्न स्तरों पर विशेषतः जनपद स्तरीय समिति के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि किसी भी दशा में इस प्रकार की स्थिति न आने पाये तथा योजना का पूर्ण लाभ अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सम्बन्धित बस्ती/मजरे को ही प्राप्त हो। खण्ड विकास अधिकारी प्रस्ताव अग्रसारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि विकासखण्ड में एक से अधिक अनुसूचित जाति आबादी के मजरों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तब उस दशा में प्रथमतः ऐसे मजरे को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक हो। इसके बाद ही क्रमशः इससे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले मजरे क्रमवार लिये जा सकेंगे।

क्रमशः...............................4 पर

4. कार्ययोजना का चयन एवं निर्माण :

(1) योजना का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम की वास्तविक तथा प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। इस बैठक में चयनित कार्य प्रारम्भिक तकनीकी आगणन ग्राम पंचायत के द्वारा तैयार कराने के उपरान्त ख अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। तकनीकी आगणन खण्ड विकास अ प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(2) विकास खण्ड स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत द्वारा प्र योजना किसी अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं है तथा यह भी परीक्षण किया सम्बन्धित ग्राम निर्धारित जनसंख्या बहुलता मानक को पूरा करता है अथव मजरा/तोक मानक के अन्तर्गत आता है।

(3) नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्ड के लिये अवस्थापना की आवश्यकता कार्य योजना का प्रस्ताव सम्बन्धित नगर क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी द्वारा यह करने के उपरान्त किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजनान्तर्गत स कराया गया है। प्रस्ताव का अनुमोदन नगर पंचायत/नगर पालिका की बैठ जायेगा। इस बैठक में सम्बन्धित वार्ड के निर्वाचित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति अनि

(4) ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत/नगर पालिका से चयनित प्रस्ताव खण्ड विकास अ अधिशासी अधिकारी के स्तर से स्वीकृति हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी करेंगे।

5. कार्ययोजना प्रस्ताव की समय सारणी :

प्रस्ताव प्राप्त करने की समय सीमा एवं अन्य कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समय–सारणी का अनुपालन सुनिश्चत किया जाये:—

1) प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अन्तिम समय सीमा बजट आबंटन प्राप्त होने की ति माह तक होगी।

2) चयन समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में से उस वर्ष में किये जाने वाले कार्य प्रस्तावों के चयन की अन्तिम तिथि उक्त बिन्दु–(1) के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त अन्तिम तिथि से एक सप्ताह की होगी।

क्रमशः.................

3) तदोपरान्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाते समय उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने की समय–सीमा भी कार्य की प्रकृति को देखते हुए चयन समिति द्वारा निश्चित की जायेगी।

4) योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मासिक अनुश्रवण किया जायेगा तथा मासिक प्रगति विवरण निदेशालय/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. स्वीकृति प्रक्रिया :

(1) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में विकास खण्ड से प्राप्त समस्त प्रस्तावों का परीक्षण (Scrutiny) किया जायेगा। मानकों के अनुरूप प्रस्तावों की सूची तैयार कर जिला समाज कल्याण अधिकारी शासनादेश संख्या 563/XVII/08—99(प्रकोष्ठ)/2007 दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति के स्तर पर यह भली भाँति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य स्रोत से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी यह पुष्टि करा लेंगे कि सम्बन्धित कार्य की पुनरावृत्ति न होने पाये।

(2) किसी योजना/कार्य को टेकअप किये जाने से पूर्व उक्त कार्य की प्रकृति के अनुरूप सम्बन्धित विभाग से इस आशय की पुष्टि होने कि उक्त कार्य को विभागीय बजट/योजना में उस वर्ष अथवा आगामी वर्ष में लिया जाना/स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं होगा, के उपरान्त ही अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत कार्य को लिया जायेगा। जिला समिति की बैठक में खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जायेगा।

(3) अवस्थापना सुविधाओं का विकास की इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतः रू0 50.00 लाख तक के ही कार्य लिये जायें तथा इससे अधिक के प्रस्ताव/कार्य के स्वरूप एवं प्रकृति के अनुसार सम्बन्धित विभागों की योजनाओं के अन्तर्गत लिये जाने चाहिए,

क्रमशः.........................6 पर

परन्तु अपरिहार्य स्थिति में अथवा किसी विभाग की योजना से आच्छादित वाले अथवा समाज कल्याण विभाग के SC/ST से सम्बन्धित ऐसे विभागीय जिनके लिए अन्य स्रोतों से धनावंटन न किया गया हो, के प्रकरण में रू. 50.00 ल. से अधिक के प्रस्तावों पर भी विशेष परिस्थिति में विचार किया जा सकता है।

रू. 50 लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी। रू. 50 लाख से रू. 1.00 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के उपरान्त मण्डलीय आयुक्त द्वारा की जायेगी। रू. 1.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं का निर्माण इस मद में नही किया जायेगा अपितु ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें जिला स्तरीय समिति सम्बन्धित विभाग की योजना में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करेगी। इसके अतिरिक्त योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने एवं आगणनों की तकनीकी जॉच के सम्बन्ध में जिला योजनाओं में प्रभावी क्रियान्वयन सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/ मु0स0/2008, दिनांक 24—3—2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रमशः प्रस्तर—4 एवं 6 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) चयन समिति के द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति योजनान्तर्गत जनपद को आवंटित धनराशि से अधिक है तो प्राप्त प्रस्तावों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा किन्तु किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। स्वीकृति से छूट गये पात्र प्रस्तावों की भविष्य के लिए कोई प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनायी जायेगी। ऐसे समस्त प्रस्ताव बजट की कमी अथवा प्राथमिकता में न आपाने के कारण वापस कर दिये जायेगें। अर्थात प्रतिवर्ष प्राप्त प्रस्तावों का निस्तारण उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए कर दिया जायेगा। नये वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावों को नये सिरे से प्राप्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

(5) जिन परियोजनाओं में भवन आदि का निर्माण किया जाना है, निर्माण से पूर्व भूमि की रजिस्ट्री आदि ग्राम पंचायत के पक्ष में किया जाना आवश्यक होगा। ताकि भविष्य में उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न न हो।

(6) योजना के अन्तर्गत सामान्यतया मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यो के लिए धनराशि नही दी जायेगी। किन्तु यह प्रतिबन्ध समाज कल्याण विभाग के विभागीय संस्थाओं जैसे—छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालय आदि के मामलों में शिथिल किया जाता है, यदि इन संस्थाओं के पुनरोद्धार/ जीर्णोद्धार हेतु विभागीय बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

क्रमशः.......................7 पर

(7) शिक्षा विभाग के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, बड़ा हाल, क्रीड़ा मैदान, बाउंड्री निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित कार्य हेतु शिक्षा विभाग द्वारा बजट व्यवस्था नही की गयी है। इसके अतिरिक्त यह कार्य उन्ही विद्यालयों/भवनों में स्वीकृत किये जायेगें जिनमें SC/ST छात्रों की संख्या 50% से अधिक हो।

7. धनराशि आवंटन एवं अभिलेखों का रखरखाव

(1) योजनान्तर्गत धनराशि निदेशक समाज कल्याण को अवमुक्त की जायेगी, जो जनपदों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जनपदवार फांट के अनुसार जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे।

(2) योजना अन्तर्गत रूपये 5.00 लाख की सीमा तक के निर्माण कार्य स्वंय सम्बन्धित ग्राम पंचायत निष्पादित करेंगी जिस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सामान्य वित्तीय एवं लेखा सिद्धांतों का पालन करेंगी। धनराशि के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त बाउचर एवं लेखे ग्राम पंचायत में ही सुरक्षित किये जायेंगे और ग्राम पंचायत के प्रधान, एक अनुसूचित जाति के सदस्य एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। शेष निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कार्यदायी एजेंसी का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) नगर क्षेत्र में इसी प्रकार रूपये 5.00 लाख तक की सीमा के कार्य सम्बन्धित नगर निकाय करेंगी और उपयोगिता प्रमाण पत्र ऐसे नगर पंचायत के अध्यक्ष, एक अनुसूचित जाति के सदस्य एवं सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। नगर निगम देहरादून द्वारा योजनान्तर्गत स्वंय कराये जाने वाले कार्यों की सीमा रूपये 10.00 लाख तक होगी।

(4) स्वीकृत परियोजना की धनराशि कार्यदायी संस्था को 50–50 प्रतिशत की दो समान किस्तो में अवमुक्त की जायेगी। दूसरी किस्त का भुगतान प्रथम किस्त की कम से कम 75 प्रतिशत धनराशि व्यय की पुष्टी होने पर ही अवमुक्त किया जायेगा।

(5) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उतनी धनराशि आहरित की जायेगी जितनी कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की जानी है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रस्तावित कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि अपरिवर्तनीय होगी अर्थात परियोजना लागत का संशोधित आगणन किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा।

क्रमशः.......................8 पर

(7) इस योजनान्तर्गत जो समस्त अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायेंगी, वे सामान्यतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सम्पत्ति होंगी अथवा किसी राजकीय विभाग की सम्पत्ति होंगी, जो इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का अंकन सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय अथबा राजकीय विभाग द्वारा परिसम्पत्ति पंजिका में किया जायेगा।

8. अनुश्रवण :

(1) योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के छोर अथवा मध्य में उपयुक्त स्थल पर एक नीले रंग का साईन बोर्ड, जिस पर सफेद अक्षरों में "अनुसूचित जाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जनजाति उपयोजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विकास हेतु समर्पित ....(परिसम्पत्ति का नाम)" लिखा हो, लगाया जायेगा।

(2) अवस्थापना मद्द के अन्तर्गत सृजित समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु गठित टास्कफोर्स के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा। यदि कार्य की गुणवत्ता में कमी पायी जाती है अथवा धन के दुरूपयोग की पुष्टि होती है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिलाधिकारी पृथक से जनपद स्तर पर अधिकारियों की विशेष सत्यापन टीम के माध्यम से पिछले वर्ष कराये गये कार्यो का कम से कम 20 प्रतिशत कार्यो का स्थलीय सत्यापन भी करवायेंगे।

(4) स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाये रखने के दृष्टिगत इन कार्यों का अनुश्रवण के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना की भांति सार्वजनिक जांच एवं सामाजिक ऑडिट (Public Vigilance & Social Audit) की पद्धति भी अपनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत कम से कम छः माह में एक बार ग्राम सभा की खुली बैठक आहुत कर निर्मित अथवा निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता एवं धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।

9. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के सम्बन्ध में भी उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त।

संख्या : 341 / XVII(1) / 12–42(प्रकोष्ठ) / 2007

प्रेषक,

एम. एच. खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ। देहरादून, दिनांक: 05 नवम्बर, 2012

विषय : अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 125 / XVII(1) / 09–42(प्रकोष्ठ) / 2007, दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा सामान्य दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सामान्य दिशा–निर्देश के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1) से (3); प्रस्तर–6 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1) से (4) एवं प्रस्तर–7 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1), (2) एवं (7); जिनमें क्रमशः अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अंतर्गत योजनाओं की "कार्ययोजना प्रस्ताव की समय सारणी", "स्वीकृति प्रक्रिया" तथा "धनराशि आवटन एवं अभिलेखों का रख–रखाव" उल्लिखित है, में योजना को सार्थकता एवं तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कतिपय संशोधन किये जाने तथा प्रस्तर–4 में उप प्रस्तर–(4) के बाद उप प्रस्तर–(5) जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अंतर्गत योजनाओं की "कार्ययोजना प्रस्ताव की समय सारणी" "स्वीकृति प्रक्रिया" तथा "धनराशि आवंटन एवं अभिलेखों का रख–रखाव" में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के साथ संलग्न सामान्य दिशा–निर्देश के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1) से (3); प्रस्तर–6 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1) से (4) एवं प्रस्तर–7 के अन्तर्गत उपप्रस्तर–(1), (2) एवं (7) को एतदद्वारा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :

प्रस्तर–5 का उपप्रस्तर–(1) से (3) :

वर्तमान व्यवस्था	संशोधनोपरांत होने वाली व्यवस्था
(1) प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अन्तिम समय सीमा बजट आबंटन प्राप्त होने की तिथि से एक माह तक होगी।	"(1) प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अन्तिम समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा इसकी सूचना निदशेक, समाज कल्याण एवं निदेशक, जनजाति कल्याण के साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दी जायेगी।
(2) चयन समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में से उस वर्ष में किये जाने वाले कार्य से संबंधित प्रस्तावों के चयन की अन्तिम तिथि उक्त बिन्दु–(1) के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह	(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण अथवा निदेशक, जनजाति कल्याण को प्रस्ताव प्रेषित करने की अन्तिम तिथि उक्त बिन्दु–(1) के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम

की होगी।	तिथि से पन्द्रह दिन की होगी तथा निदेशक, समाज कल्याण अथवा निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि उक्त बिन्दु–(1) के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से एक माह की होगी।
(3) तदोपरान्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाते समय उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने की समय–सीमा भी कार्य की प्रकृति को देखते हुए चयन समिति द्वारा निश्चित की जायेगी।	(3) तदोपरान्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाते समय उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने की समय–सीमा भी कार्य की प्रकृति को देखते हुए शासन अथवा निदेशक, समाज कल्याण/ निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा निश्चित की जायेगी।''

प्रस्तर–6 का उपप्रस्तर–(1) से (4) :

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(1) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में विकास खण्ड से प्राप्त समस्त प्रस्तावों का परीक्षण (Scrutiny) किया जायेगा। मानकों के अनुरूप प्रस्तावों की सूची तैयार कर जिला समाज कल्याण अधिकारी शासनादेश संख्या 563/XVII /08–99(प्रकोष्ठ)/ 2007 दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन एवं अनुश्रण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति के स्तर पर यह भली भाँति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य स्रोत से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी यह पुष्टि करा लेंगे कि सम्बन्धित कार्य की पुनरावृत्ति न होने पाये।	(1) जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों का परीक्षण (Scrutiny) करेंगे तथा मानकों के अनुरूप प्रस्तावों की सूची तैयार कर मूल प्रस्ताव सूची सहित निदेशक, समाज कल्याण अथवा निदेशक, जनजाति कल्याण (जिससे सम्बन्धित हों) को प्रेषित करेंगे। प्रस्तावों को निदेशक को प्रेषित करने से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर यह भली भाँति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य स्रोत से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है तथा योजना की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।
(2) किसी योजना/कार्य को टेकअप किये जाने से पूर्व उक्त कार्य की प्रकृति के अनुरूप सम्बन्धित विभाग से इस आशय की पुष्टि होने कि उक्त कार्य को विभागीय बजट/योजना में उस वर्ष अथवा आगामी वर्ष में लिया जाना/स्वीकृत किया जना सम्भव नहीं होगा, के उपरान्त ही अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत कार्य को लिया जायेगा। जिला समिति की बैठक में खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।	(2) किसी योजना/कार्य को टेकअप किये जाने से पूर्व उक्त कार्य की प्रकृति के अनुरूप सम्बन्धित विभाग से इस आशय की पुष्टि होने कि उक्त कार्य को विभागीय बजट/योजना में उस वर्ष अथवा आगामी वर्ष में लिया जाना/स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं होगा, के उपरान्त ही अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत कार्य को लिया जायेगा।
(3) अवस्थापना सुविधाओं का विकास की इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतः ₹50.00 लाख तक के ही कार्य लिये जायें तथा इससे अधिक के प्रस्ताव/कार्य के स्वरूप एवं प्रकृति के अनुसार सम्बन्धित विभागों की योजनाओं के अन्तर्गत लिये	(3) अवस्थापना सुविधाओं का विकास की इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतः ₹50.00 लाख तक के ही कार्य लिये जायें तथा इससे अधिक के प्रस्ताव/कार्य के स्वरूप एवं प्रकृति के अनुसार सम्बन्धित विभागों की योजनाओं के अन्तर्गत लिये जाने चाहिए, परन्तु

जाने चाहिए, परन्तु अपरिहायz स्थिति में अथवा किसी विभाग की योजना से आच्छादित नहीं होने वाले अथवा समाज कल्याण विभाग के SC/ST से सम्बन्धित ऐसे विभागीय कार्य जिनके लिए अन्य स्रोतों से धनावंटन न किया गया हो, के प्रकरण में ₹50.00 लाख से अधिक के प्रस्तावों पर भी विशेष परिस्थिति में विचार किया जा सकता है। ₹50 लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी। ₹50 लाख से ₹1.00 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के उपरान्त मण्डलीय आयुक्त द्वारा की जायेगी। ₹1.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं का निर्माण इस मद में नही किया जायेगा अपितु ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें जिला स्तरीय समिति सम्बन्धित विभाग की योजना में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करेगी। इसके अतिरिक्त योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने एवं आगणनों की तकनीकी जॉच के सम्बन्ध में जिला योजनाओं में प्रभावी क्रियान्वयन सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/ मु0स0/2008, दिनांक 24–3–2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रमशः प्रस्तर–4 एवं 6 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	अपरिहार्य स्थिति में अथवा किसी विभाग की योजना से आच्छादित नहीं होने वाले अथवा समाज कल्याण विभाग के SC/ST से सम्बन्धित ऐसे विभागीय कार्य जिनके लिए अन्य स्रोतों से धनावंटन न किया गया हो, के प्रकरण में ₹50.00 लाख से अधिक के प्रस्तावों पर भी विशेष परिस्थिति में विचार किया जा सकता है।
(4) चयन समिति के द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति योजनान्तर्गत जनपद को आवंटित धनराशि से अधिक है तो प्राप्त प्रस्तावों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा किन्तु किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जोयेंगे। स्वीकृति से छूट गये पात्र प्रस्तावों की भविष्य के लिए कोई प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनायी जायेगी। ऐसे समस्त प्रस्ताव बजट की कमी अथवा प्राथमिकता में न आपाने के कारण वापस कर दिये जायेगें। अर्थात प्रतिवर्ष प्राप्त प्रस्तावों का निस्तारण उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए कर दिया जायेगा। नये वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावों को नये सिरे से प्राप्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।	(4) निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, जनजाति कल्याण जिला समाज कल्याण अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों का अपने स्तर पर भी परीक्षण (Scrutiny) करेंगे तथा मानकों के अनुरूप प्रस्तावों की जनपदवार सूची तैयार कर मूल प्रस्तावों पर अपनी संस्तुति अंकित करते हुए सूची सहित शासन को प्रेषित करेंगे। शासन स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का एक वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा किन्तु किसी भी दशा में आय–व्ययक में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। स्वीकृति से छूट गये पात्र प्रस्तावों की भविष्य के लिए कोई प्रतीक्षा सूची भी नहीं बनायी जायेगी। ऐसे समस्त प्रस्ताव बजट की कमी अथवा प्राथमिकता में न आपाने के कारण वापस कर दिये जायेगें। अर्थात प्रतिवर्ष प्राप्त प्रस्तावों का निस्तारण उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए कर दिया जायेगा। नये वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावों को नये सिरे से प्राप्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।''

प्रस्तर–7 का उपप्रस्तर–(1), (2) एवं (7) :

वर्तमान व्यवस्था	संशोधनोपरांत होने वाली व्यवस्था
(1) योजनान्तर्गत धनराशि निदेशक समाज कल्याण को अवमुक्त की जायेगी, जो जनपदों में अनुसूचित जाति की	''(1) योजनान्तर्गत धनराशि निदेशक समाज कल्याण/निदेशक जनजाति कल्याण को

जनसंख्या के अनुपात में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जनपदवार फांट के अनुसार जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे।	अवमुक्त की जायेगी, जो शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों/योजनाओं के अनुसार धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को करेंगे तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी नियमानुसार धनराशि का आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे।
(2) योजना अन्तर्गत ₹5.00 लाख की सीमा तक के निर्माण कार्य स्वंय सम्बन्धित ग्राम पंचायत निष्पादित करेगी जिस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सामान्य वित्तीय एवं लेखा सिद्धांतों का पालन करेगी। धनराशि के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त बाउचर एवं लेखे ग्राम पंचायत में ही सुरक्षित किये जायेंगे और ग्राम पंचायत के प्रधान, एक अनुसूचित जाति के सदस्य एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। शेष निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कार्यदायी एजेंसी का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।	(2) **"विलुप्त"**
(7) इस योजनान्तर्गत जो समस्त अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायेंगी, वे सामान्यतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सम्पत्ति होंगी अथवा किसी राजकीय विभाग की सम्पत्ति होंगी, जो इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का अंकन सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय अथवा राजकीय विभाग द्वारा परिसम्पत्ति पंजिका में किया जायेगा।	(7)इस योजनान्तर्गत जो समस्त अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायेंगी, वे सामान्यतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सम्पत्ति होंगी अथवा किसी राजकीय विभाग की सम्पत्ति होंगी, जो इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का अंकन सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय अथवा राजकीय विभाग द्वारा परिसम्पत्ति पंजिका में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यों का ग्रामवार/विकासखण्डवार/वार्डवार/ निकायवार/जनपदवार एवं वर्षवार विवरण सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा भी एक पंजिका में रखा जायगा।"

3– उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के साथ संलग्न सामान्य दिशा–निर्देश के प्रस्तर–4 में उप प्रस्तर–(4) के बाद निम्नानुसार उप प्रस्तर–(5) एतद्द्वारा जोड़ा जाता है :

"विशेष परिस्थितियों में किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकता तथा औचित्यपूर्ण नियमसंगत मांग को दृष्टिगत रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं का विकास के ₹10.00 लाख से अधिक के प्रस्ताव/कार्य/आगणन जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा सीधे भी तैयार करवाये जा सकते हैं, किंतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य/योजना किसी अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं है तथा यह भी परीक्षण किया जायेगा कि सम्बन्धित ग्राम/क्षेत्र निर्धारित जनसंख्या बहुलता मानक को पूरा करता है अथवा सम्बन्धित मजरा/तोक मानक के अन्तर्गत आता है।"

4-

4— अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सामान्य दिशा—निर्देश सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 125 / XVII(1) / 09—42(प्रकोष्ठ) / 2007, दिनांक 13 फरवरी, 2009 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 58(P) / XXVII(3) / 2012—13, दिनांक 08 अगस्त, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम. एच. खान)
सचिव।

संख्या : 341 (1) / XVII(1) / 12—42(प्रकोष्ठ) / 2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण, विधान भवन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ, पौड़ी / नैनीताल।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, नैनीताल / पौड़ी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी. आर. टम्टा)
अपर सचिव।

संख्या– 395 /XVII-1/2023-11(03)/2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

2. निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01.

देहरादून, दिनांकः 18 अक्टूबर, 2023

विषयः–अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत शासन को प्रेषित प्रस्तावों में वर्तमान में प्रचलित शासनादेश संख्या–125/XVII(1)/04–01(प्रकोष्ठ)/2007, दिनांक 13.02.2009 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या–341/XVII (1)/04–01 (प्रकोष्ठ)/2007, दिनांक 01 नवम्बर, 2012 की व्यवस्थानुसार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनाओं हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार तथा निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परीक्षणोंपरान्त अपनी संस्तुति सहित औचित्यपूर्ण/परिपक्व प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करेंः–

(1) उक्त योजना के प्रस्ताव में निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व न्यूनतम 10 रंगीन व स्पष्ट फोटोग्राफ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) कार्यदायी संस्था से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि विगत 05 वर्षों में संबंधित कार्य हेतु विभिन्न श्रोतों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र कार्य के आगणन के साथ संलग्न किया जायेगा कि उक्त कार्य अन्य किसी विभागों/संस्थाओं से नहीं कराया जा रहा है।

(4) उक्त प्रमाण पत्र को संबंधित जिले के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा निदेशालय द्वारा इसे प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(5) चालू निर्माणाधीन कार्यों के भौतिक सत्यापन सम्बन्धी 10 रंगीन फोटोग्रापस निदेशक के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जायेंगे तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात के 10 रंगीन फोटोग्रापस तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रत्येक ग्राम हेतु एक यूनिक आई0डी0 (Geo tag) गठित की जाय, जिसके माध्यम से ग्राम में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु दी जाने वाली धनराशि का पुस्तकांकन किया जाये जिसका रख–रखाव ग्राम के पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारी की समिति द्वारा किया जायेगा।

(7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को आवंटित यूनिक आई0डी0 के माध्यम से किये गये वित्त पोषण सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी एवं वित्त पोषण का ऑडिट वित्त विभाग में कार्यरत सम्प्रेक्षकों से कराया जायेगा।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव।
Signed by Brijesh Kumar Sant
Date: 17-10-2023 16:36:21

संख्या– 395 /XVIIA-1/2023-11 (03)/2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमॉऊ मण्डल।
3. संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4. अनु सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

Signed by Sunil Kumar Singh
Date: 17-10-2023 17:18:50
(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 952 / XVII(1) / 2024–E-76452–19(प्रकोष्ठ) / 2024

प्रेषक,

डा0 नीरज खैरवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून। ।

अनु0 जाति / अनु0जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, देहरादून, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2024

विषयः अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक(S.O.M) में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुंसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं के सम्बन्ध में हुई चर्चा का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। प्रायः यह देखा जा रहा है कि एक गांव में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं से सम्बन्धित कई प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किये जा रहें हैं। आप अवगत है कि अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अर्न्तगत अवस्थापना विकास योजना का बजट प्राविधान सीमित है। आप यह भी अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन,धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम 2013 के प्रस्तर– 05 में निम्नवत प्रावाधान हैं–

"विभागीय अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना में ऐसी योजनाएं सम्मिलित की जायेगी जिनका प्रत्यक्ष एवं परिमाणक लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार,बस्ती या जनजाति के परिवार,बस्ती या जनजाति के अधिसूचित क्षेत्र को प्राप्त होगा तथा इनके कियान्वयन परिणाम स्वरूप विकास की विषमता दूर हो सके।"

इसके अतिरिक्त प्रस्तर–6 में भी निम्नवत प्राविधान है:–

"विभागों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विभिन्न उप समूहों के समान विकास तथा इन समूहों के पिछड़ी हुई बस्ती को केन्द्रित करते हुए योजनाऐं बनायी जायेंगी।"

उपरोक्त से ग्रह स्पष्ट है कि उक्त नियमावली की मंशा सभी क्षेत्रों का समान विकास करना तथा क्षेत्रीय असुंतलन को दूर करना है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के सम्बन्ध में यदि एक ग्राम के 05 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अलग से यह प्रमाण–पत्र भी प्रेषित किया जायेगा कि उक्त प्रस्ताव सम्बन्धित गांव के विकास के लिए आवश्यक हैं।

भवदीय,

Signed by
Neeraj Kharwal
Date: 20-12-2024 13:49:22

(डा0 नीरज खैरवाल)
सचिव।

संख्या– 952 / XVII(1) / 2024–E-76452–19(प्रकोष्ठ) / 2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुभाग अधिकारी अनुभाग–01 एवं 03 को इस आशय से प्रेषित कि यदि एक ग्राम के 05 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन प्रस्तावों का व्यहरण अलग पत्रावली में किया जाए।
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड पत्रावली हेतु।

Signed by
Sunil Kumar Singh
Date: 23-12-2024 11:40:02

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।

39

संख्या— 326 / XVII(1) / 2025—E-76452—19(प्रकोष्ठ) / 2024

प्रेषक,

डॉ0 नीरज खैरवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—निदेशक,
समाज कल्याण,
हल्द्वानी, नैनीताल।

2—निदेशक,
जनजाति कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अनु0जाति / अनु0जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, देहरादून दिनांक: 26 मई, 2025

विषयः—"अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना" के अन्तर्गत "अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवास्थापना सुविधाओं का विकास योजना" के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अर्न्तगत विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां शासन स्तर से निर्गत की गयी हैं। इस संबध में जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि इस योजना का समुचित लाभ लक्षित वर्गो को नहीं मिल पा रहा है।

2. उक्त योजना का लाभ लक्षित वर्गों तक सुनिश्चित करने के आशय से इस गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में स्वीकृत विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन व अनुश्रवण तथा अभिलेखों का रख—रखाव निम्नानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें—

1. कार्य शुरू करने से पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य के पश्चात की 5—5 रंगीन फोटो(अलग—अलग दृश्य) / वीडियो उपलब्ध करायी जाए।
2. कार्य की ग्रुप फोटो / वीडियो संबधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा विभागीय पोर्टल (उन्नति) पर अपलोड किया जाए।
3. प्रत्येक योजना कार्य स्थल पर उस कार्य का विवरण बोर्ड पर अंकित किया जाए व उल्लेख किया जाय कि उक्त कार्य **"अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (2024—25) के अन्तर्गत"** संपादित किया गया है।
4. कार्यों की **Geo tagging** भी कराई जाय, जिसमें संबंधित स्थल के अंक्षाशीय / देशान्तरीय विस्तार का भी अंकन हो।

3. उपरोक्तानुसार कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण होने पर उपरोक्त विवरण सहित सभी योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण—पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को उपलब्ध कराये जांएगे। साथ ही योजना सम्बधी समस्त अभिलेखों का समुचित रख रखाव भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि शासनादेशों के किसी भी प्रावधान का उलन्घन न हो तथा यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

Digitally signed by
Neeraj Kharwal
Date: 20-05-2025
10:18:26

(डॉ0 नीरज खैरवाल)
सचिव।

सं0 326 /XVII(1)/2025–E-76452–19(प्रकोष्ठ)/2024 तद्दिनांक–
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Bir Singh Budiyal
Date: 20-05-2025
10:39:30

(बीर सिंह बुदियाल)
अपर सचिव।

संख्या– 729 /XVII(1)/2025-20(प्रकोष्ठ)/2025

प्रेषक,

डा. श्रीधर बाबू अद्दांकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
(SCSP/TSP से सम्बन्धित विभाग),
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
(SCSP/TSP से सम्बन्धित विभाग),
उत्तराखण्ड।

अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, देहरादूनः दिनांक 01 दिसम्बर, 2025.

विषयः अनुसूचित जाति उपयोजना/जनजाति उपयोजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डों में विभिन्न प्रकृति के कार्य कराए जाने हेतु जनसंख्या प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रशासकीय विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजनान्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले बाहुल्य ग्राम/बस्ती/तोक/मजरे/वार्ड में विभिन्न प्रकृति के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य कराए जाते हैं।

2. इस हेतु जनगणना–2011 के आंकड़ों के आधार पर चिन्हांकित करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम/वार्डों हेतु नीली पुस्तक और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/वार्डों हेतु पीली पुस्तक प्रकाशित की गई है। प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्त पुस्तकों में उल्लिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले बाहुल्य ग्राम/वार्डों में विभागीय योजनाओं की आवश्यकतानुसार कार्य कराए जाते हैं।

3. जनगणना–2011 को सम्पन्न हुए लगभग 14 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और जनसंख्या के आंकड़ों में पर्याप्त अंतर आ चुका है। अधिकांश क्षेत्रों में नए ग्राम और वार्ड भी सृजित हुए हैं और पुराने ग्राम/वार्डों की जनसंख्या में भी अत्यधिक परिवर्तन हुआ है।

4. इस कारण वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य ग्राम/बस्ती/तोक/मजरे/वार्ड (जो जनगणना–2011 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नहीं थे लेकिन वर्तमान में बाहुल्य हैं) को भी लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से प्रशासकीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाने हेतु योजना की आवश्यकतानुरूप सम्बन्धित ग्राम/बस्ती/तोक/मजरे/वार्ड में वर्तमान में निवासरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रमाणपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर शासन को उपलब्ध कराया जाता है। क्रमशः पृष्ठ-2 पर

5. किन्तु जनसंख्या प्रमाणपत्र के लिए कोई निश्चित प्रारूप निर्धारित न होने के कारण जनसंख्या प्रमाणपत्रों में एकरूपता नहीं पाई जाती और कई अन्य प्रकार की अन्य कमियां पाए जाने के कारण शासन स्तर पर निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त व्यवस्था में यथोचित परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है।

6. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/बस्ती/तोक/मजरे/वार्ड (जो जनगणना–2011 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नहीं थे लेकिन वर्तमान में बाहुल्य हैं) में विभिन्न निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य कराए जाने हेतु प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित ग्राम/बस्ती/तोक/मजरे/वार्ड में वर्तमान में निवासरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रारूप–1 तथा नगरीय क्षेत्र हेतु प्रारूप–2) को निम्न व्यवस्थानुसार सम्बन्धित प्रस्ताव के साथ संलग्न कर शासन को उपलब्ध कराया जाए–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त जनसंख्या प्रमाणपत्र प्रारूप–1 को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) नगर निगमों में उक्त जनसंख्या प्रमाणपत्र प्रारूप–2 को मात्र नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) अन्य नगरीय क्षेत्रों (यथाः नगर पालिका/नगर पंचायत) में उक्त जनसंख्या प्रमाणपत्र प्रारूप–2 को नगर अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

7. यहां पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि जनगणना–2011 के अनुसार जो ग्राम/वार्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य हैं, उनमें अनुसूचित जाति उपयोजना/जनजाति उपयोजनान्तर्गत कोई कार्य कराए जाने हेतु उपरोक्तानुसार जनसंख्या प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जनगणना–2011 में उल्लिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/वार्ड में कार्य कराए जाने हेतु पूर्व की भांति नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यह आदेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त प्रशासकीय विभागों द्वारा जो भी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे उनमें यथावश्यकता जनसंख्या प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः जनसंख्या प्रमाणपत्र प्रारूप–1/2.

भवदीय,

Digitally signed by
Sridhar Babu Addanki
Date: 28-11-2025
18:21:29

(डा. श्रीधर बाबू अद्दांकी)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ-3 पर

पृष्ठांकन संख्या–729 (1)/XVII(1)/2025-20(प्रकोष्ठ)/2025, तद्दिनांक:

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी (SCSP/TSP से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
3. आदेश पंजिका।

(डा. श्रीधर बाबू अद्दांकी)
सचिव।

सं0 629 XVII(1)/24-19E76452(प्रकोष्ठ)/2024

प्रेषक,

बी0के0मिश्रा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
समाज कल्याण,
हल्द्वानी, नैनीताल।

2-निदेशक,
जनजाति कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अनु0जाति/अनु0जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, देहरादून

दिनांक: 04 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2024

विषयः- <u>अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवास्थापना सुविधाओं का विकास योजना के संबंध में।</u>

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 125/XVII/(1)09-42(प्रकोष्ठ)/2007 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को लिये जाने का निर्णय लिया गया था:-

1. पेयजल (हैण्डपम्प निर्माण सम्मिलित) सुविधा।
2. ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-परम्परागत ऊर्जा सहित।
3. ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (सम्पर्क मार्ग, पुल, पुलिया सहित)।
4. विद्यालय भवन, भवन में अतिरिक्त कक्ष, विद्यालय परिसर में क्रीड़ा मैदान, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।
5. ए0एन0एम0 केन्द्र का निर्माण।
6. नगरीय वार्ड में स्ट्रीट लाईट एवं जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण।
7. नगरीय मलिन बस्तियों/बाहुल्य ग्रामों में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण।
8. आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन निर्माण।

(ब) <u>अन्य कार्यक्रम/अवस्थापना</u>

1. विभागीय छात्रावासों/आश्रम पद्वति विद्यालयों का पुनरोद्वार।
2. सिंचाई व्यवस्था-गुल/नहरों का निर्माण।
3. विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं में अवशिष्ट कार्य (CRITICAL GAP)।

2. उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त योजनाओं के प्रस्ताव विकास खण्ड स्तर से जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं निदेशक समाज कल्याण एवं निदेशक जनजाति कल्याण के द्वारा संस्तुति के उपरान्त स्वीकृत हेतु शासन को प्रेषित किये जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त उनमें बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, जिसके कारण प्रस्ताव ससमय स्वीकृत नहीं हो पाते हैं।

3. इस संबंध में शासन द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों को तैयार करने हेतु एक चैक लिस्ट तैयार की गयी है, जो कि निम्नवत् है :-

1) एस0सी0 / एस0टी0 जनसंख्या 40 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति मे खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

2) यदि सम्बन्धित ग्राम / तोक / मजरा / शहरी निकाय मे 40 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या संतृप्त हो चुकी हो, ऐसी स्थिति में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच की जनसंख्या वाले ग्राम / तोक / मजरा / शहरी निकाय हेतु सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के संतृप्त होने का खण्ड विकास अधिकारी / अधिशासी अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

3(A) मैदानी क्षेत्र के गांवों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 500 से अधिक होने का खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(B) पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में अनु0जाति / अनु0जनजाति की जनसंख्या 300 से अधिक होने का खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

4(A) पर्वतीय क्षेत्र के तोक / मजरा / बस्ती, जिसमें अनु0जाति / अनु0जनजाति के कम से कम 10 परिवार लाभान्वित हो रहे हों, के संबध में खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(B) मैदानी क्षेत्र के तोक / मजरा / बस्ती, जिसमें अनु0जाति / अनु0जनजाति के कम से कम 25 परिवार लाभान्वित हो रहे हों, के संबध में खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

5) ग्राम सभा / नगर पंचायत / नगर पालिका की खुली बैठक का प्रस्ताव ।

6) खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण–पत्र कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है।

7) शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी का प्रमाण–पत्र कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है।

8) योजना की पुनरावृति न होने, किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषित न होने, सभी मानकों के पूर्ण करने का जिला समाज कल्याण अधिकारी / निदेशक समाज कल्याण / निदेशक जनजाति का प्रमाण–पत्र।

9) किसी विभागीय कार्य के संबध में विभाग से प्रमाण–पत्र कि, किसी अन्य विभागीय योजना से कार्य किया जाना सम्भव नही होगा।

10) भवन निर्माण की स्थिति में भूमि की रजिस्ट्री ग्राम पंचायत के पक्ष में होने का अभिलेख।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवास्थापना सुविधाओं का विकास योजना के प्रस्तावों को उक्त चैक लिस्ट के अनुसार ही तैयार कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Bhagwat Kishore Mishra

(बी0के0मिश्रा)

Date: 03-09-2024 11:38:16

अपर सचिव।

सं0 629 / XVII(1) / 24–19 E-76452(प्रकोष्ठ) / 2024तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. - मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं, पौड़ी / नैनीताल।
4. - सचिव नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. - समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

7. - समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. - समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. - समस्त नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका उत्तराखण्ड।
10. - गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

(सुनील कुमार सिंह)

उप सचिव।

अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) – प्रस्ताव सत्यापन चेकलिस्ट (✓)

1. क्या सम्बन्धित ग्राम/तोक/मजरा/शहरी निकाय में SC जनसंख्या 40% या अधिक है अथवा खण्ड विकास अधिकारी (BDO) का प्रमाण–पत्र संलग्न है? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
2. क्या जनगणना–2011 में जो ग्राम बाहुल्य नहीं थे परन्तु वर्तमान में हैं, उनके लिए निर्धारित प्रारूप–1 (ग्रामीण) या प्रारूप–2 (शहरी) पर सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित जनसंख्या प्रमाण–पत्र संलग्न है? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
3. बस्ती/तोक/मजरा हेतु विशेष मानकः क्या पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 SC परिवार लाभान्वित हो रहे हैं? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
4. क्या मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 25 SC परिवार लाभान्वित हो रहे हैं? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
5. क्या ग्राम सभा/नगर पंचायत/नगर पालिका की खुली बैठक का अनुमोदित प्रस्ताव (रजिस्टर की प्रति) संलग्न है? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
6. क्या यह प्रमाणित है कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य सरकारी योजना/स्रोत से स्वीकृत या वित्त पोषित नहीं है? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
7. क्या योजना की पुनरावृत्ति न होने और सभी मानकों के पूर्ण होने का जिला समाज कल्याण अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
8. क्या निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व के न्यूनतम 10 रंगीन व स्पष्ट फोटोग्राफ प्रस्ताव/आगणन के साथ संलग्न किए गए हैं? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
9. क्या BDO, ADO एवं कार्यदायी संस्था से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया गया है कि विगत 05 वर्षों में इस कार्य हेतु कोई अन्य धनराशि प्राप्त नहीं हुई है? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
10. भवन निर्माण की स्थिति मेंः क्या भूमि का स्वामित्व स्पष्ट है और भूमि की रजिस्ट्री ग्राम पंचायत के पक्ष में होने का विलेख/अभिलेख संलग्न है? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
11. यदि किसी एक ही ग्राम से 05 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तो क्या BDO/ADO/DSWO द्वारा कार्य की आवश्यकता का अलग से विशेष प्रमाण–पत्र दिया गया है? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
12. क्या कार्य स्थल पर नीले रंग का साइन बोर्ड (सफेद अक्षरों में) लगाना सुनिश्चित किया गया है, जिस पर योजना का नाम, वर्ष (2026–27 आदि) और SCSP स्पष्ट अंकित हो? (हाँ ☐ /नहीं ☐)
13. क्या कार्य की जियो–टैगिंग (Geo-tagging) की व्यवस्था की गई है, जिसमें अक्षांशीय (Latitude) व देशान्तरीय (Longitude) विस्तार का अंकन होगा? (हाँ ☐ /नहीं ☐)

नोटः– उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 13 तक की समस्त सूचनाओं का भली–भांति परीक्षण कर आगणन प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

पटल सहायक ह0 एवं मुहर	जिला समाज कल्याण अधिकारी ह0 एवं मुहर .

<u>प्रारुप – 01</u>

अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में आख्या एवं संस्तुति का प्रारुप

1. जनपद का नामः .... 2. वित्तीय वर्षः ....

3. योजना का नामः ....

4. योजना का संक्षिप्त विवरणः ....

5. योजना की कुल लागत (अंकों में): ....लाख (शब्दों में): ....

5(1). आगणन गठित करने वाली संस्था / विभाग का नामः ....

6. योजना स्थल / बस्ती / तोक / मजरा / ग्रामः ....

7. ग्रामः ....8. विकासखण्ड का नामः ....

9. तहसीलः ....10. विधानसभा क्षेत्रः ....

11. वर्ष 2011–12 की जनगणना के अनुसार ग्राम का कोडः ....

12. वर्ष 2011–12 की जनगणना के अनुसार ग्राम की कुल जनसंख्याः ....

13. वर्ष 2011–12 की जनगणना के अनुसार ग्राम में अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्याः.....................
एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या का कुल प्रतिशतः ....

14. यदि कार्य योजना अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य ग्राम के लिए न होकर किसी बस्ती / तोक अथवा मजरे के लिए प्रस्तावित है तो उस बस्ती / तोक / मजरे की कुल जनसंख्याः.. तथा उसके सापेक्ष अनुसूचित जाति / जनजाति की कुल जनसंख्याः ....एवं अनुसूचित जाति का प्रतिशतः ....

15. योजना से लाभान्वित होने वाले कुल परिवारों / जनसंख्याः ....

16. योजना से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति के कुल परिवार / जनसंख्याः...........................

17. जिला समाज कल्याण अधिकारी की आख्या / संस्तुतिः–

उक्त योजना प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। योजना अनुसूचित जाति / जनजाति उप योजना के मानकों के अन्तर्गत आती है। अतः प्रस्ताव अनुसूचित जाति / जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

ह० नाम एवं मोहर	हस्ताक्षर नाम एवं मोहर
नामः...	जिला समाज कल्याण अधिकारी
अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी /	जनपदः ....
सहायक समाज कल्याण अधिकारी	

18. निदेशक समाज कल्याण / जनजाति कल्याण की आख्या / संस्तुति

जिला समाज कल्याण अधिकारी की उपरोक्त आख्या / संस्तुति के क्रम में उक्त योजना / प्रस्ताव को अनुसूचित जाति / जनजाति उप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

ह० एवं नाम तथा मोहर	ह० एवं नाम तथा मोहर
सहायक निदेशक / उप निदेशक / संयुक्त निदेशक	निदेशक

<u>प्रारुप – 02</u>

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में आख्या एवं संस्तुति का प्रारुप

1. जनपद का नामः .... वित्तीय वर्षः ....
2. योजना का पूरा नामः ....
   ....
3. योजना की कुल लागत (अंको मे): .... (शब्दों मे): ....
4. ग्राम पंचायत का नामः ....
   (क) ग्राम मे अनु०/जनजाति की कुल जनसंख्याः ....ग्राम की कुल जनसंख्याः ....
   जनजाति/जाति का कुल प्रतिशतः ....
   जिस ग्राम मे निर्माण कार्य किया जाना है, उस ग्राम/मजरा का नामः ....
5. विकासखण्ड का नामः .... विधानसभा का नामः ....
6. आगणन तैयार करने वाली संस्था का नामः ....
7. आगणन तैयार करने वाले (जे०ई०) जूनियर इन्जिनियर का नामः ....
8. कार्यस्थल का नाप का पूरा विवरण सहितः ....
9. जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जाना है उस स्थान पर पूर्व मे निर्माण कार्य किसी भी विभाग अथवा संस्था से कब कराया गया है अथवा नहीः ....
   (क) विभाग का नाम जिससे पूर्व मे निर्माण कार्य कराया गया हैः ....
10. उक्त योजना किस विभाग से स्वीकृत अथवा प्रस्तावित है अथवा नहीः ....
    जिस विभाग से उपरोक्त प्रस्तावित योजना स्वीकृत है, उस विभाग का नामः ....
    ....
11. निर्माण कार्य मजरा अथवा तोक मे हो रहा है तो तोक अथवा मजरा का नामः ....
    (क) मजरा अथवा तोक की कुल जनसंख्याः ....
    (ख) मजरा अथवा तोक की कुल जनजाति/जाति की जनसंख्याः ....
    (ग) मजरा अथवा तोक मे कुल परिवारों की संख्याः ....
    (घ) मजरा अथवा तोक मे जनजाति/जाति की कुल परिवारों की संख्याः ....
12. मजरा अथवा तोक की मुख्य ग्राम से दूरीः .... कि०मी० ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही तैयार की गयी है तथा जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जाना है उस स्थान पर किसी भी विभाग एवं संस्था से निर्माण कार्य नही किया गया है। तथा योजना किसी भी विभाग से स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नही है। उक्त स्थान का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त ही आगणन तैयार किया गया है। उपरोक्त प्रस्तावित योजना की संस्तुति की जाती है।

ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत वि0 अधिकारी	कनिष्ठ अभियन्ता	स0स0क0अधि0	खण्ड विकास अधिकारी
हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रारुप – **03**

<u>प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि योजना ....
....ग्राम सभा का नाम ....
....कार्यस्थल का नाम व पता ....
....
....विकासखण्ड...जो प्रस्तावित की गई है, उक्त निर्माण कार्य किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व मे स्वीकृत नही है तथा प्रस्तावित भी नही है तथा उपरोक्त स्थान मे पूर्व मे इस कार्यालय द्वारा एवं किसी भी विभाग/संस्था द्वारा पूर्व मे निर्माण कार्य नही हुआ है। मैं उक्त प्रस्तावित योजना को अनु०जाति बस्ती/बाहुल्य क्षेत्र मे निर्माण कार्य किये जाने की संस्तुति करता हूँ/करती हूँ।

ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत वि0 अधिकारी	कनिष्ठ अभियन्ता	स0स0क0अधि0	खण्ड विकास अधिकारी
हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रारुप – **04**

शासनादेश संख्याः 395/XVII-1/2023-11(03)/2019 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के बिन्दु संख्या–2 से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य योजना......................

....

विकास खण्ड...ग्राम...में विगत 05 वर्षों में किसी भी स्रोत से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि कर ली गयी है।

दिनांक–

कार्यदायी संस्था के सक्षम/प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर–

नाम/पदनाम–

विभाग का नाम–

सील मोहर–

मजरा/तोक में निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों की जाँच आख्या

<u>प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत .... से अलग बसत तोक का नाम .... ग्राम पंचायत .... से कुल दूरी .... पर स्थित है। मजरा/तोक की कुल जनसंख्या .... है तथा तोक का नाम ....मजरा/तोक की कुल जनसंख्या../मजरे में निवास कर रहे अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या .... है। तोक अथवा मजरा में कुल परिवारों की संख्या .... है तथा तोक एवं मजरे मे निवास कर रहे अनुसूचित जाति के कुल परिवारों की संख्या .... है।

उपरोक्त मजरा/तोक अनुसूचित जाति बाहुल्य अलग बसता है। योजना का निर्माण अनुसूचित जाति के जनहित में प्रस्तावित है।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी	ग्राम विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी
....	....	....

प्रारुप–1

जनसंख्या प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित...उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष...............................में जनपद–.....................................के विकासखण्ड.. की ग्रामसभा–...(जनगणना–2011 में कोड–...) में प्रस्तावित कार्य.. रुपये..........................लाख की लागत से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। जनगणना–2011 के अनुसार उक्त ग्राम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नहीं है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि जिस ग्राम/बस्ती/तोक/मजरा/वार्ड में उक्त कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है उसका नाम..है। वर्तमान में उसकी कुल जनसंख्या............................के सापेक्ष अनुसूचित जाति की जनसंख्या...................................और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.............................है। इस प्रकार उक्त ग्राम/बस्ती/तोक/मजरा/वार्ड अनुसूचित..........................बाहुल्य है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित कार्य की वास्तव में आवश्यकता है और उक्त प्रस्तावित कार्य का अधिकतम लाभ अनुसूचित.................................वर्ग के व्यक्तियों को प्राप्त होगा।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित कार्य को विगत 05 वर्षों में किसी भी विभाग/योजनान्तर्गत निर्मित नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रस्तावित कार्य को अन्य किसी विभाग/योजनान्तर्गत प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं किया गया है।

**(उप जिलाधिकारी का नाम
हस्ताक्षर एवं मुहर)**

**(खण्ड विकास अधिकारी का नाम
हस्ताक्षर एवं मुहर)**

प्रारुप–2
जनसंख्या प्रमाण पत्र (नगरीय क्षेत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित..उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष............................में जनपद–.......................................के अन्तर्गत नगर निकाय–..की वार्ड संख्या–..(जनगणना–2011 में कोड–..........................) में प्रस्तावित कार्य...रुपये...........................लाख की लागत से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। जनगणना–2011 के अनुसार उक्त वार्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नहीं है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि जिस वार्ड में उक्त कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है उसकी वार्ड संख्या–......................................है। वर्तमान में उसकी कुल जनसंख्या............................ के सापेक्ष अनुसूचित जाति की जनसंख्या..और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.............................है। इस प्रकार उक्त वार्ड अनुसूचित..........................बाहुल्य है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित कार्य की वास्तव में आवश्यकता है और उक्त प्रस्तावित कार्य का अधिकतम लाभ अनुसूचित.................................वर्ग के व्यक्तियों को प्राप्त होगा।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित कार्य को विगत 05 वर्षों में किसी भी विभाग/योजनान्तर्गत निर्मित नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रस्तावित कार्य को अन्य किसी विभाग/योजनान्तर्गत प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं किया गया है।

(उप जिलाधिकारी का नाम हस्ताक्षर एवं मुहर)

(नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का नाम हस्ताक्षर एवं मुहर)

(नगर निगम क्षेत्र हेतु उप जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता नहीं है।)

<u>विशेष प्रमाण–पत्र</u>

(शासनादेश संख्या–952/XVII(1)/2024-E-76452-19 (प्रकोष्ठ)/2024 के अनुपालन में)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–952/XVII(1)/2024-E-76452-19 (प्रकोष्ठ)/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के प्रस्तर–2 के निर्देशों के अधीन जनपद ....के विकासखण्ड.....................................के अन्तर्गत ग्राम .... में अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के तहत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कुल.............. प्रस्ताव (जो कि 05 प्रस्तावों से अधिक हैं) प्राप्त हुए हैं।

उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम 2013 के प्रस्तर–05 एवं प्रस्तर–06 के मूल उद्देश्यों के अनुरूप, इन सभी विकास योजनाओं का प्रत्यक्ष, वास्तविक और परिमाणक लाभ इस विशिष्ट ग्राम की पिछड़ी बस्तियों, परिवारों तथा अनुसूचित क्षेत्रों को प्राप्त होगा। ग्राम में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, क्षेत्र के समान विकास और क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance) को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रेषित किए गए ये सभी 05 से अधिक प्रस्ताव अत्यंत आवश्यक और जनहित में अनिवार्य हैं।

अतः उक्त ग्राम की आवश्यकताओं को देखते हुए इन सभी प्रस्तावों को नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई, स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु शासन को संस्तुति सहित प्रेषित किया जाता है।

दिनांक.......................

स्थान.......................

(ध्यान दें: योजना स्वीकृति के समय चयनित गांव PMAGY योजनान्तर्गत आच्छादित है अथवा नहीं यदि गांव आच्छादित है, तो योजनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो इसके लिए समाज कल्याण अधिकारी सत्यापित कर आख्या भी संलग्न करे।)

ग्राम प्रधान	स0स0क0अधि0	खण्ड विकास अधिकारी	जि0स0क0 अधिकारी
हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर	हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रतिहस्ताक्षरित

निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी–नैनीताल।